पीएमईजीपी आवेदक द्वारा शपथ पत्र

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाए और यह अनिवार्य है)

पीएमईजीपी के अधीन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय लाभार्थी द्वारा घोषणा की जानी है।

मैं.., पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती...

निवासी गाँव..पोस्ट.............................. ब्लॉक/तहसील...........................

जिला...राज्य.......................................यह घोषणा करता/करती हूँ कि :

1. मैंने पीएमईजीपी के अधीन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पहले विस्तार में पीएमईजीपी योजना के दिशा निर्देशों तथा नियम एवं शर्तों, विशेष रुप से उद्योग का स्वरुप, प्रति व्यक्ति निवेश, स्वयं का योगदान, ग्रामीण क्षेत्र (खाग्राआ/खाग्राबो द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट एवं निगेटिव सूची (दिशानिर्देशों का पैरा 29) जैसे मानदंडों को पढ़ और समझ लिया है।

2. मैं समझ चुका/चुकी हूँ कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग पीएमईजीपी योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है और कि पीएमईजीपी योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र में खाग्राआ राज्य/मंडलीय कार्यालयों एवं खाग्राबो के माध्यम से तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में जिला उद्योग केन्द्र (**DIC**) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

3. मैं समझ चुका/चुकी हूँ कि पीएमईजीपी योजना के अधीन ऋण के लिए आवेदन या तो खाग्राआ या खाग्राबो या डीआईसी को प्रस्तुत किया जाना है।

4. मैं समझ चुका/चुकी हूँ कि मेरा आवेदन सूक्ष्म जाँच (**SCRUTINY**) तथा संक्षिप्त सूची बनाने (**SHORTLISTING**) के लिए जिला कार्य दल समिति (**DTFC**) को भेजा जाएगा। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि चुने हुए आवेदकों को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विषय में उनकी जानकारी, योग्यता, रुचि, कौशल, एवं उद्यमशीलता क्षमता, बाजार उपलब्धता, चुकाने की क्षमता और प्रस्तावित प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता का आंकलन एवं परियोजना की स्वीकृति हेतु बैंक को केवल सराहनीय चुने हुए आवेदकों की सिफारिश करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक रुप से डीटीएफसी द्वारा एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

5. मैं समझ चुका/चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता (**VIABILITY**) पर आधारित प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार बैंक को है, जिस पर खाग्राआ/खाग्राबो/डीआईसी को कोई अधिकार नहीं है। यदि बैंक किसी कारण से प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं करता है तो, खाग्राआ/खाग्राबो/डीआईसी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है और मैं कानूनी अदालत के समक्ष किसी याचिका में खाग्राआ/खाग्राबो/डीआईसी के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं करुंगा/करुंगी।

6. एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पीएमईजीपी के अधीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने योग्य है। 'परिवार' में स्वयं और पति या पत्नी शामिल हैं।

7. मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मार्जिन मनी सरकार द्वारा "एक मुश्त सहायता" है। क्रेडिट सीमा में किसी भी वृद्धि या प्रोजेक्ट के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध नहीं है।

8. मैं शर्तो से सहमत हूँ और मानता हूँ कि एकबार ऋणी के पक्ष में मार्जिन मनी जारी हो जाता है तो, इसे लाभार्थी/संस्था के नाम से वित्त पोषक बैंक शाखा स्तर पर तीन वर्ष के सावधि जमा रसीद (TDR) में रखा जाएगा। TDR पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और TDR की समतुल्य ऋण पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा।

9. मैं शर्तो से सहमत हूँ और मानता हूँ कि यद्यपि मार्जिन मनी बैंक के निर्दिष्ट नोडल ब्रांच द्वारा जारी होगी, फिर भी योजना के मापदण्डों पर आधारित दावे को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार खाग्राआ/खाग्राबो/डीआईसी (प्रायोजित करने वाली कार्यान्वयी एजेंसी) को है।

10. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैनें पीएमईजीपी योजना के विचाराधीन प्रोजेक्ट के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया हैं और न ही किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित योजना से कोई अनुदान प्राप्त किया है।

11. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दिए गए पते पर स्थित इकाई एक नयी इकाई है और मैं इस इकाई का एकमात्र मालिक हूँ। यह भी घोषित किंया जाता है कि यह एक साझेदारी फर्म/निजी कंपनी, इत्यादि नहीं है।

12. मैं निर्धारित समय के अंदर आवश्यक ईडीपी (EDP) प्रशिक्षण में भाग लेने की शर्त से सहमत हूँ और मानता हूँ।

13. मैं अपने/हमारे प्रोजेक्ट साइट के मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित साइन-बोर्ड को प्रदर्शित करने हेतु सहमत हूँ :-

....(इकाई का नाम)
खाग्राआ के पीएमईजीपी योजना के अधीन...(बैंक) द्वारा वित्तपोषित

14. मैं शर्तो को भी पूरी तरह से जानता हूँ कि यद्यपि बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय एवं कार्यशील पूंजी के अनुमानों के आधार पर मार्जिन मनी (सब्सिडी) का दावा करेगा और उसके अनुसार स्वीकृत करेगा। पूंजीगत व्यय की वास्तविक प्राप्ति अनुसार मार्जिन मनी (सब्सिडी) ही रखा जाएगा तथा अतिरिक्त, यदि कोई हो, तुरंत परियोजना के उत्पादन आरंभ करने के लिए तैयार होने के पश्चात खाग्राआ को वापस करेगा।

15. मैं शर्तो से सहमत हूँ कि कार्यशील पूंजी घटक को इस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए कि एक स्तर पर यह मार्जिन मनी की निश्चित अवरुद्धता अवधि के तीन वर्ष के अंदर कैश क्रेडिट का 100 प्रतिशत सीमा और स्वीकृत सीमा के 75 प्रतिशत उपयोगिता से कम न हो, को प्राप्त कर लेती हो। यदि यह उपर्युक्त सीमा को नहीं प्राप्त करता है तो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के समानुपातिक धनराशि को बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा वसूल किया जाना है और तीसरे वर्ष के अंत में खाग्राआ को वापस करना है।

16. मैं योजना दिशानिर्देशों/मानकों इत्यादि के पूरा नहीं होने की स्थिति में खाग्राआ/खाग्राबो/डीआईसी के लिए सरकारी सब्सिडी भेजने (**REMIT**) हेतु वित्तपोषक (**FINANCING**) बैंक शाखा को **TDR** में रखे हुए मार्जिन मनी का हिस्सा/पूरी धनराशि वापस करने के लिए सहमत हूँ।

17. मैं सहमत हूँ कि यदि जिस किसी भी कारण से मार्जिन मनी का दावा करने हेतु इकाई अयोग्य पायी जाती है तो खाग्राआ को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या मेरे पक्ष में स्वीकृत मार्जिन मनी को वापस मंगाने का अंतिम अधिकार है और उस स्थिति में, मैं खाग्राआ को मेरे प्रोजेक्ट पर प्राप्त पूरा/आंशिक मार्जिन मनी वापस करुंगा/करुंगी।

18. मैं इकाई का भौतिक सत्यापन आयोजित करने के लिए प्राधिकृत खाग्राआ, खाग्राबो, डीआईसी, बैंक और या एक एजेंसी के पदाधिकारियों को अनुमति देने के लिए सहमत हूँ और उन्हें मेरी इकाई के विषय में सभी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा तथा बही खातों सहित आवश्यक दस्तावेज दिखाऊंगा।

19. मैं शर्तो से सहमत हूँ और मानता हूँ कि प्रोजेक्ट से संबंधित किसी भी मामले पर खाग्राआ के विरुद्ध कोई भी कानूनी सहारा लेने के लिए, सिर्फ राज्य न्यायालयों के पास विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा।

20. यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन के साथ दी गयी सभी जानकारी सही है और यदि कोई जानकारी गलत या भ्रामक होना पाया जाता है और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के गुप्त मकसद के साथ बनाया गया है तो, खाग्राआ/खाग्राबो/डीआईसी मुझ पर मुकदमा चलाने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरु करने, जैसा उपयुक्त समझा जाए, के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक :........................ (लाभार्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :........................... (नाम एवं पता)

1. निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र।
2. निवास का प्रमाण पत्र राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस।
3. शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित (उपरोक्तानुसार)।
4. किराया नामा अथवा यदि स्वयं का भवन है तो स्वामित्व अधिकार का प्रमाण–पत्र जैसे म्यूटेशन अथवा रजिस्ट्री की फोटो प्रति।
5. शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र।
6. ग्राम प्रधान का आबादी प्रमाण–पत्र।
7. जाति प्रमाणपत्र यदि लागू हो।

(छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक है।)